न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 05 / 2021 FSSA

1. सरकार जरिये श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री बाबूलाल गुर्जर एफबीओ मैसर्सः—श्री श्याम डेयरी, गुढाकटला रोड, बांदीकुई जिला दौसा।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गतएफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त बहस के दौरान अनुपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 20.09.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी ने दिनांक 29.10.2020 को दोपहर बाद 02:00 बजे मैसर्स श्री श्याम डेयरी, गुढाकटला रोड, बांदीकुई जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय डेयरी पर विक्रेता श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री बाबूलाल गुर्जर उपस्थित मिला। विक्रेता ने स्वयं को उक्त फर्म का विक्रेता होना बताया। विक्रेता को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान पर काउन्टर पर एक एल्यूमिनीयम के डिब्बे में करीबन 15 किलोग्राम घी आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था, इसमें मिलावट का शक होने पर नमूने की जांच हेतु इसमें से 800 ग्राम घी खरीदा। जिसे विक्रेता ने हिलामिलाकर साफ, सूखी व खाली प्लास्टिक की थैली में तौलकर दिया। जिसकी कीमत 320 रूपये नगद देकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता से बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा 800 ग्राम घी को चार साफ सूखी खाली कांच की बोतलों में डालकर बोतलों को ढक्कन से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व (विक्रेता) एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को खरीदशुदा बोतलों पर चिपकाकर बोतलों को अलग—अलग खाकी कागज में लपेटकर बोतलों पर डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर AG—2466 गोंद से चिपकाकर बोतलों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलों को चार—चार जगह से चपडी से सील मोहर कर बोतलों पर एफ.बी.ओ. (विक्रेता) व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द बोतलों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विकेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढ़कर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:26:22 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं. 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बन्द बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं. 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बन्द बोतल व फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 30.10.2020 को खाद्य संरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने की दो सील बोतल व फार्म संख्या 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 30.10.2020 को डी.ओ. व सीएमएचओ को जमा करवाये तथा नमूने की चतुर्थ सील बन्द बोतल व फार्म संख्या 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 30.10.2020 को डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त खाद्य पदार्थ घी के नमूने की खाद्य संरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अलवर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./722/एक्ट/2020/799 दिनांक 09.11.2020 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना अमानक (Substandard) स्तर का पाया गया है। नमूना अमानक (Substandard) स्तर का पाये जाने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त नियत तारीख पेशी पर उपस्थित आया एवं जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा गया। अप्रार्थी अभियुक्त को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु बार-बार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा ना तो कोई जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया ना ही अप्रार्थी अभियुक्त बहस के दौरान न्यायालय में उपस्थित रहा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./722/एक्ट/2020/799 दिनांक 09.11.2020 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी के नमूने की जांच रिपोर्ट में **B.R. Reading 43.8** पाई गई है जो कि **40.0** से **43.0** के बीच होनी चाहिये थी। जांच रिपोर्ट में उक्त नमूने की **Reichert-Meissel value 25.05** पाई गई है जो कि तय मानको के अनुसार **26.0** से कम नहीं होनी चाहिये थी। उक्त खाद्य पदार्थ घी के नमूने में **B.R. Reading** तय मानको से अधिक एवं **Reichert-Meissel value** तय मानको से कम पाये जाने के कारण यह नमूना अमानक **(Substandard)** स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अमानक **(Substandard)** स्तर के खाद्य पदार्थ घी का विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 (2) **(II)** का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51 एफएसएसए 2006 में वर्णित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./722/एक्ट/2020/799 दिनांक 09.11.2020 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ घी(लूज) का नमूना अमानक **(Substandard)** स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने अमानक **(Substandard)** स्तर के खाद्य पदार्थ घी(लूज) का विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 (2)**(II)** का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना एफएसएसए की धारा 51 में वर्णित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:16:22 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या : 05 / 2021 FSSA

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अमानक (Substandard) स्तर के खाद्य पदार्थ घी(लूज) का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री बाबूलाल गुर्जर एफबीओ मैसर्सः—श्री श्याम डेयरी, गुढाकटला रोड, बांदीकुई जिला दौसा पर 3,00,000 / —(अक्षरे तीन लाख रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 20.09.2024 के एक माह के अन्दर—अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित (Chief Medical & Health Officer Dausa) के मद 0210—04—800—03—00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 20.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

क्रमांक / FSSA / 2024 / 1512-1517 दिनांकः— 20 .09.2024

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री बाबूलाल गुर्जर
   एफबीओ मैसर्सः—श्री श्याम डेयरी, गुढाकटला रोड, बांदीकुई जिला दौसा।

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:26:22 IST
Reason: SelfAttested